मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक-03/चयन/2012/31.12.2012 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.01.2013** **आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.02.2013**

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2012 (दोपहर 12.00) से 30.01.2013 (रात्रि 12.00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 10.01.2013 से 01.02.2013 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
4. विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रसारित की जायेंगी। यद्यपि आयोग अपनी समस्त सूचनाओं को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है किंतु तत्काल सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना ही पर्याप्त होगी। आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत् अवलोकन करें।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				रिक्तियों में से निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
		अना.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.व.		
जिला मलेरिया अधिकारी (District Malaria Officer)	42	25	01	08	08	08	-	02	02	02 (अना.) अस्थिबाधित	एम.एससी. (कीटविज्ञान) अथवा एम.एससी. (प्राणीशास्त्र) (एम.एससी. (कीटविज्ञान) को अधिमान्यता दी जायेगी।)

टीप - (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) **जिला मलेरिया अधिकारी के पद हेतु केवल 40% या अधिक अस्थिबाधित श्रेणी के निःशक्त आवेदक आवेदन करने के पात्र हैं।**

दो - पद का विवरण -

(अ) पद का नाम : **जिला मलेरिया अधिकारी (District Malaria Officer)**

(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(द) पद स्थिति : अस्थायी

(इ) वेतनमान : रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ज) अनिवार्य अर्हता : **एम.एससी. (कीटविज्ञान) अथवा एम.एससी. (प्राणीशास्त्र) एम.एससी. (कीटविज्ञान) को अधिमान्यता दी जायेगी।**

(फ) कर्तव्य : कर्तव्य चुनौतीपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों में कार्य करने से संबंधित है। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण, छिड़काव कार्यक्रम तैयार करना एवं छिड़काव कार्यक्रम का सुपरवीज़न, आउटब्रेक की स्थिति में दुर्गम ग्रामों में भी जाकर वहीं रहकर प्रतिबंधात्मक उपाय करना, एन्टोमोलोजिकल सर्वेलेंस का कार्य।

तीन - 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार - आयु सीमा - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

पाँच - आयु संगणना तिथि **01.01.2013** होगी।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-1** देखें।
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

छः - मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात - महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ - अधिवार्षिकी आयु - 60 वर्ष

नौ - चयन प्रक्रिया - उपरोक्त पदों पर चयन आयोग के Rules Of Procedure में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अधार पर निम्नानुसार रहेगी :-

(अ) प्राप्त अर्ह आवेदन पत्रों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से 6 गुना तक होने की स्थिति में :-

चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हतायें न्यूनतम हैं और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का हकदार नहीं होगा। यदि विज्ञापित पदों की संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिये सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के चार गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची घोषित की जायेगी।

(ब) प्राप्त अर्ह आवेदन पत्रों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से 6 गुना से अधिक होने की स्थिति में :-

लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जायेगी।

लिखित परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि की जानकारी ''रोज़गार और निर्माण'' समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर यथा समय प्रकाशित की जावेगी तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा विहित रीति से निर्धारित तिथि तक करना होगा। जिन आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा उनके आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस - आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह - आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जायेगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नये पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करें ताकि आयोग नये पते पर पत्र-व्यवहार कर सके। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नये पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर ही किया जावेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह - आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के **परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012** एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा (मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु) को बढ़ाकर 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1. पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2. पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6. महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

विशेष :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। जिला मलेरिया अधिकारी के पद हेतु केवल 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त आवेदक पात्र होंगे। निःशक्त आवेदकों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी नवीनतम निःशक्तता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाणित हो, ही मान्य किये जायेंगे।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण - छंटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण - मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

''2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रेंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।''

टीप :- भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा ''मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण) नियम 1985'' के संशोधनों के अध्यधीन रहेगी।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें -

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/ आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (1) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 4) परिशिष्ट-1 (दो) (1 से 3) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(2) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुये भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **जिला मलेरिया अधिकारी (District Malaria Officer)** के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
      1. www.mponline.gov.in
      2. www.mppsc.com
      3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। एम.पी.ऑनलाइन अधिकृत KIOSK पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले की आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
7. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवदेक अपना आवेदन सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 10.01.2013 से 01.02.2013 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार किया जा सकेगा। यह सुधार आवेदक स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।** आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त लिखित अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा उन्हें सरसरी तौर पर नस्तीबद्ध किया जायेगा। **एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**

   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

9. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

(1) प्राप्त आवेदन पत्र की एक छायाप्रति करायें। उक्त छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

(2) इंटरनेट से प्राप्त पावती/आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें तथा उसके साथ ₹ 6/- के डाक टिकट लगे दो लिफाफे संलग्न करें। लिफाफे पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर अपना वर्तमान पता लिखें।

(3) आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेख/लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र रखें।

(4) **लिफाफे के ऊपर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम तथा वर्तमान पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।** उक्त विवरण के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारण संभव नहीं होगा।

(5) आवेदन पत्र पंजीबद्ध डाक अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजें।

(6) ध्यान रखें सहपत्रों सहित उक्त आवेदन पत्र **दिनांक 15.02.2013 को सायं 5.30 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा।

(7) आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5:30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी।

आवेदन-पत्र भेजने का पता -

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इंदौर-452001

10. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें।**
11. **आवेदक www.mponline.gov.in से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।**
12. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क :-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिए तथा अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 30/- देय होगा।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 60/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को ₹ 35 पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों तथा अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क
₹ 30/-	₹ 60/-

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर - 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

(स) यदि लिखित परीक्षा आयोजित होती है तो आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

टीप :- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983

(पिछले पृष्ठ का शेष)

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026, फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर - 155343 (टोल फ्री), तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

3. आवेदन की अंतिम तिथि -

(अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 30.01.2013** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) स्वप्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 15.02.2013 (सायं 5.30 बजे तक) है।** अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें -

आयु संबंधी प्रमाण के लिये - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

अनुभव के प्रमाण पत्र - अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

निःशक्तता प्रमाण पत्र - निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर निःशक्त भी लिखे। **जिला मलेरिया अधिकारी के पद हेतु केवल 40% या अधिक अस्थिबाधित श्रेणी के निःशक्त आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र हैं।**

जाति के प्रमाण पत्र - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा हेतु उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/छंटनी किये गये शासकीय सेवकों हेतु - नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश -** ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11. परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिका परीक्षा के बाद वीक्षक को जमा न कराते हुये अपने साथ ले गया हो।

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-

(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएं -** ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

1. मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं तथा मध्यप्रदेश शासन के मूल निवासी है, को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
   (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
   (2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा

सचिव